राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 416/2013/जोधपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, जोधपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स युसुफ उस्मान एण्ड सन्स, जोधपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 07/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 12/आरवेट/जेयूबी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति 24,671/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.02.2011 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आरजे 19 जीए–6231 की जांच करने पर पाया गया कि गहलोत गुडस ट्रांसपोर्ट कंपनी, भीनमाल की जी.आर. संख्या 539 दिनांक 22.02.2011 को छः बण्डल टायर बिल के अभाव में रोके गये। प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि माल बिल नंबर 5867 दिनांक 22.02.2011 वर्धमान टायर्स, भीनमाल से क्रय किया तथा भीनमाल की ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा भूल से दस्तावेज (बिल) वाहन चालक को नहीं दिया गया जबकि वक्त जांच वाहन चालक के बयानों में यह स्वीकार किया था कि यह माल रिप्लेसमेन्ट का है। प्रत्यर्थी के प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 24,671/– आरोपित की गई। जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.08.2012 के द्वारा स्वीकार कर ली। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आरजे 19 जीए–6231 की जांच करने पर जो माल पाया गया वह विधिक दस्तावेजों के अभाव में परिवहनित किया जा रहा था। श्री गहलोत गुडस ट्रांसपोर्ट कम्पनी, भीनमाल की बिल्टियों के अलावा अन्य कोई बिल/चालान इत्यादि दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं पाये गये, प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शास्ति से बचने के लिए After thought दस्तावेज बनाये गये। जिसको अस्वीकार

लगातार.....2

कर सशक्त अधिकारी ने शास्ति आरोपण पारित किया है वह धारा 76 (6) के अनुरूप विधिनुकूल आदेश था जिसको अपीलीय अधिकारी ने बिना तथ्यों को ध्यान रखते हुए अपास्त किया है वह अनुचित व विधि विरूद्ध है जिसको अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि वक्त जांच धारा 76(2)(b) की पालना में कर योग्य माल का बिल नहीं पाया गया। वाहन चालक ने उक्त माल बयानों में रिप्लेसमेंन्ट का बताया है। जबकि नोटिस धारा 76(6) की पालना में प्रस्तुत जवाब में माल का बिल प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वक्त जांच पाए गए तथ्यों का सत्यापन बाद में प्रस्तुत जवाब से नहीं होता है। अतः इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के राजस्थान राज्य बनाम डी.पी.मेटल्स (2001) 124 एसटीसी 611 का निर्णय लागू नहीं होता है। धारा 76(2)(b) के बाध्यकारी प्रावधान निम्न प्रकार से है :–

76. Establishment of check–post or barrier and inspection of goods while in movement. –

(2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall–

(a) ----------

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;

अतः इसकी अवहेलना के कारण आरोपित धारा 76(6) की शास्ति विधिक रूप से आरोपित की गई है। अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाता है। सशक्त अधिकारी का आदेश पुनः बहाल किया जाता है। विभाग की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य